(c) and (d) 'Die displaced persons admitted to relief camps are being provided government-regulate 1 relief facilities, while efforts are also neing made to find permanent resettlemen for them.

FOODGRAIN'S TO WEST BENGAL

669. SHRI CH ITTA BASU:

SHRI PR VNAB KUMAR MUKHER-JEE:

Will the Min iter of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to refer to the reply to the Starred Q testion No. 275 given in the Rajya Sabha on ihe 8th May, 1970 and state:

(a) whether tl e figures of the production of food grains in the State of West Bengal for the year 1980- 70 has since been received by Government;

(b) if so, whal is the quantity of deficit of foodgrains for the year 1970-71'in respect of West Bengal and how Government propose to meet the delicit; and

(c) what is t te amount of foodgrains so far made available to Government of West Bengal since January, 1970?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND CO OPERATION (SHRI ANNASAHEB SHINDE): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) During H'70, 6.40 lakh tonnes of foodgrains had bei n supplied to West Bengal Government up to end of June.

भूमिहीन किसानों में भूमि का वितरण

670. **श्री निरंजन वर्मा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्यों के भूमिहीन किसानों में शीघ्र भूमि बांटने के विषय में राज्यों को कोई परिपत्र भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भूमि केवल हरिजनों और आदिवासियों को ही दी जायेगी या अन्य भूमिहीन काश्तकारों को भी दी जायेगी ; और

(ग) इस सम्बन्ध में प्राथमिकता का क्या आधार होगा ?

DISTRIBUTION OF LANDS AMONGST LANDLESS CULTIVATORS

670. SHRI NIRANJAN VARMA: Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state:

fa) whether Central Government have sent any circular to the State Governments regarding early distribution of land amongst landless cultivators in the States;

(b) if so, whether these lands would be distributed only to the Harijans and the tribal people or whether other landless cultivators would also be given such lands; and

(c) what would be the basis for priority in this regard?]

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री अण्णा साहेब शिन्दे) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार ने फरवरी, 1968 में राज्य सरकारों को एक परिपत्र भेजा, जिसमें उनसे अनुरोध किया गया था कि वे 1968-69 में बेकार भूमि के सुधार तथा भूमिहीन कृषि श्रमिकों के पुनर्वास सम्बन्धी तत्कालीन केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत कार्य को जारी रक्खें । उस परिपत्र में, राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया था कि वे यह सुनिश्चित करें कि केवल उन्हीं व्यक्तियों को जो कृषि का कार्य करते रहे हैं और जो भूमि पर बसने में वास्तविक दिलचस्पी रखते हैं इस योजना के अन्तर्गत सुधारी गई भूमि पर बसने के लिये चुना जाना चाहिये । राज्य सरकारों को यह भी कहा गया था कि आबंटित भूमि पर कृषि कार्यों के लिए इस योजना के उन्हीं को आर्थिक सहायता दी जाएगी जो वास्तव में भूमिहीन कृषि श्रमिक हैं । केन्द्रीय सरकार ने इस बात का कोई संकेत नहीं दिया कि ऐसी सुधरी हुई भूमि को केवल हरिजनों और जन जाति के लोगों में ही वितरित किया जाये । इस योजना के अन्तर्गत सभी वास्तविक भूमिहीन कृषि श्रमिक ऐसी भूमि प्राप्त करने के हकदार थे । अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों सहित सभी भूमिहीन किसानों में भूमि के वितरण के लिये कार्यक्रम बनाया गया, जो भूमि नियतन नियमों की रूप-